रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार 22 जनवरी, 2004/2 माघ, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 7 जनवरी 2004

संख्या:–कल्याण ए(3)–1/2000.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियम, 2000 जिसे इस विभाग की अधिसूचना संख्या कल्याण–ए (3) 4/85–I, तारीख 14-3-2000 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 27-7-2000 को प्रकाशित किया गया, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:––

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश दहेज प्रतिषेध (संशोधन) नियम, 2004 है ।

(2) ये राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

3621-राजपत्र/2004-22-1-2004—1,413. (3097) मूल्य : 1 रुपया ।

2. नियम 2 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियम, 2000 जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है के नियम 2 में :—

(क) विद्यमान स्तम्भ (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—
"(घ) "मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी" से निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अभिप्रेत है ; और

(ख) खण्ड (त्र) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(ट) "परिवीक्षा अधिकारी" से, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का केन्द्रीय अधिनियम 20) के अधीन नियुक्त किया गया जिला परीवीक्षा अधिकारी अभिप्रेत है; और

(ठ) "पुलिस अधिकारी" से, राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन राज्य पुलिस विभाग में ऐसे अधिकारी की हैसियत से नियुक्त किया गया अधिकारी अभिप्रेत है ।"

3. नियम 4 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 4 में:—

(क) खण्डों (घ) और (ङ) में "निदेशक" शब्द जहां कहीं भी ये आता है के स्थान पर "मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

(छ) वह आकस्मिक जांच पड़ताल करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रथम जांच करेगा कि क्या अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों का वहां कोई अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है।

(ज) वह शालीनता, एकांतता को ध्यान में रखते हुए और पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा, शिष्टता और सामंजस्य की रीति बनाए रखते हुए अपने कर्त्तव्य का निर्वहन सम्यक् देखभाल से करेगा ।

(झ) उसका दृष्टिकोण मुख्यतः निवारक और उपचारी होगा और अभियोचन की सिफारिश तथा आश्रय केवल तभी लिया जाएगा यदि सभी उपाय तथा निदेश अप्रभावी पाए जांए या पक्षकार नियत अवधि के भीतर आदेशों या निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहें।

(ञ) वह उस द्वारा प्राप्त प्रत्येक शिकायत पर क्रमांक संख्या लगवाएगा और प्रारूप—3 में रजिस्टर मे सम्यक रूप से पंजीकृत करवाएगा ।

(ट) वह प्ररूप 4 में मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी को अधिनियम के अधीन प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा की गई कारवाई या विवाधक के समझोते के स्वरूप की एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजेगा । वही ऐसे ब्योरे या रिपोर्ट जैसे मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी या सरकार द्वारा समय समय पर अपेक्षित हो, भेजेगा ।

(ठ) वह मौके पर ही अन्वेषण करेगा और वह पक्षकारों से अपने कार्यालय या उसके सुविधाजनक किसी स्थान पर पक्षकारों को कोई अधिक असुविधा या कठिनाई पहुंचाए बिना मौखिक रूप से या लिखित रूप से साक्ष्य लेगा ।

(ड) वह पक्षकारों तथा साक्षियों को प्ररूप 5 में शिकायत की सुनवाई की तारीख समय और स्थान की बाबात नोटिस देगा या तामील करवाएगा।

(ढ) वह प्रत्येक याचिका की जांच करेगा और पक्षकारों की सुनवाई करेगा और उस पर उसकी प्राप्ति के एक मास के भीतर अपना निष्कर्ष देगा ।

(ण) जहां शिकायत या याचिका की सुनवाई के लिए नियत तारीख पर या किसी अन्य तारीख जिसको ऐसी सुनवाई स्थगित की जाए, शिकायतकर्ता या याचिकाकर्ता हाजिर नहीं होता है, तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी, स्वाविवेकानुसार या वो व्यतिक्रम के लिए शिकायत याचिका को खारिज कर सकता है अथवा प्रतिपक्ष को सुन सकेगा और इसके गणागुण के अनुसार निष्कर्ष करेगा और ऐसे निष्कर्ष को नस्ति में अभिलिखित करेगा ।

(त) वह सूचना एकत्र करने या जांच संचालित करने के लिए और जांच के किसी भी स्तर पर या अधिनियम के अधीन शिकायत, याचिका या आवेदन से सम्बन्धित कार्यवाहियां में उसकी सहायता करने के लिए क्षेत्र के परिवीक्षा अधिकारी की सेवा का उपयोग कर सकेगा।

(थ) दहेज प्रतिषेध अधिकारी से अध्यापेक्षा की प्राप्ति पर, परिवीक्षा अधिकारी आवश्यक जांच संचालित करेगा, सूचना एकत्र करेगा और उस तत्परता से ऐसे ब्यौरे या रिपोर्ट देगा, जैसा दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया है।

(द) वह ऐसे मामले में जहां महिला से अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा कोई दहेज प्राप्त किया गया है और महिला जो अधिनियम की धारा-6 के अनुसार इसकी हकदार है, से ऐसे दहेज के अनंतरण की बाबत, शिकायत प्राप्त हुई पक्षकारों से नियत समय के भीतर इसकी हकदार महिला को उसे अन्तरित समन का निदेश जारी करेगा।

(ध) वह व्यापक प्रचार करेगा कि उसकी अधिकारिता के भीतर सम्पन्न होने वाले किसी विवाह को पुलिस अधिकारी सहित स्वंय या उसके कर्मचारियों द्वारा यह देखने के लिए अचानक दौरा किया जाएगा कि इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।

(न) वह, उसकी अधिकारिता के भीतर धारित या धारित होने के लिए प्रस्तावित शादी की बाबत अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन से संबंधित आवश्यक जांच करेगा।

(प) वह युक्तियुक्त साधनों द्वारा यह अभिनिश्चित और पुष्ट करेगा कि उसकी अधिकारिता के भीतर सम्पन्न होने वाला प्रत्येक विवाह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप है।

(फ) वह अधिनियम के अधीन जांच करते समय या जब वह जांच के प्रयोजन के लिए किसी विवाह समारोह में उपस्थित होता है तो वह अपने कर्त्तव्यों के अनुपालन में किसी पुलिस अधिकारी की सहायता प्राप्त करेगा या किसी अन्य अधिकारी को सहायता करने के लिए कहेगा और पुलिस अधिकारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वह दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा अपेक्षित सभी प्रकार की सहायता उसे प्रदान करें।

(ब) वह अधिनियम के अधीन दाखिल शिकायत की जांच करने में पुलिस की तथा मामले के विचारण में न्यायालय की सहायता करेगा।

(म) वह ऐसे अन्य कृत्यों का भी निर्वहन करेगा जो उसे इस निमित्त सरकार द्वारा सौंपे जाएं।

4. नए नियम 4-क का जोड़ना.—उक्त नियमों के नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित निम्न 4-क जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"4-क मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कर्त्तव्य और कृत्य":—मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित कर्त्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन और अनुपालन करेगा, अर्थात्:—

(1) वह राज्य भर में दहेज प्रतिषेध से सम्बन्धित कार्य का समन्वय करेगा।

(2) वह दहेज प्रतिषेध अधिकारियों के कार्य का समन्वय करेगा और दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए जनता के बीच चेतना और जागरूकता का सृजन करेगा और दहेज प्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए कार्यक्रम बनाएगा।

(3) वह अधिनियम के कार्यान्वयन पर प्रगति और सम्बन्धित विषयों पर वार्षिक रिपोर्ट तथा ऐसे आंकड़े जिनकी सरकार समय समय पर अपेक्षा को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए दायी होगा।

(4) वह राज्य के सभी विभागों को निम्नलिखित प्रभाव के अनुदेश जारी करेगा :—

(i) कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उसके विवाह के पश्चात् विभागाध्यक्ष को यह कथन करते हुए एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है और ऐसी घोषणा उसकी पत्नी, पिता और ससुर द्वारा हस्ताक्षरित होगी ;

(ii) कि वर्ष में एक विनिर्दिष्ट दिन दहेज प्रतिषेध दिवस के रूप में मनाया जाएगा; और

(iii) कि विद्यालय, महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों में दहेज न देने तथा न लेने की शपथ दिलाई जाएगी ।

5. नियम 5 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 5 में "निदेशक" शब्द के स्थान पर "मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

6. नए नियमों का जोड़ना.—उक्त नियमों के नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित नए नियम जोड़े जाएंगें अर्थात्:—

"14" परिसीमा और शर्तें जिनके अधीन दहेज प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा.—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 5, 6, 7 और 12, अर्थात् व्यक्तियों की गिरफ्तारी, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं और पुलिस को इत्तिला और उसकी अन्वेषण करने की शक्तियां दहेज प्रतिषेध अधिकारी को उक्त संहिता के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति होगी और जांच पूरी करने के पश्चात् वह अपराध के तथ्य की शिकायत सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष करेगा ।

(2) जब कभी दहेज प्रतिषेध अधिकारी के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हों कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध उसकी अधिकारिता के भी हुआ है, हो रहा है या होने जा रहा है और किसी भी परिसर की तलाशी वारन्ट के साथ असम्यक विलम्ब के बिना नहीं की जा सकती है, तो वह ज़िला मैजिस्ट्रेट को अपने विश्वास के आधार भेजने के पश्चात्, ऐसे परिसर की बिना वारन्ट तलाशी ले सकेगा ।

(3) उप-नियम (2) के अधीन तलाशी करने से पूर्व, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, उस स्थान जिसकी तलाशी ली जानी है, तलाशी में सहयोग और साक्षी के रूप में उस परिक्षेत्र के दो या अधिक निवासियों को बुलाएगा और उन्हें या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित में आदेश जारी कर सकेगा ।

(4) यदि कोई व्यक्ति बिना युक्ति-युक्त कारण के इस नियम के अधीन तालाशी के दौरान उपस्थित होने और गवाही देने से इनकार करता है या उपेक्षा करने पर, जबकि उसे ऐसा करने के लिए लिखित में आदेश दिया गया है, तो यह माना जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 187 के अधीन अपराध किया है।

15. कल्याण संस्था को मान्यता .—(1) कल्याण संस्था या संगठन जो कार्य के निम्नलिखित में से किसी मुख्यतः में रत रही है और जितने उस क्षेत्र में तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए असाधारण कार्य किया है वह अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (i) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) के अधीन मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी, अर्थात् :—

(क) महिलाओं की देखभाल, संरक्षण और प्रशिक्षण सहित, समाज कल्याण;

(ख) राज्य या अखिल भारतीय स्तर का महिला संगठन विख्यात महिला समाज या महिला संगठन ;

(ग) निराश्रितों की देखभाल और संरक्षण, महिलाओं और बच्चों के बचाओ सहित सामाजिक सुरक्षा; और

(घ) अधिवक्ताओं का कोई संगठन जो सामाजिक बुराईयों का उन्मूलन करने में हितबद्ध हों।"

(2) कल्याण संस्था या संगठन, जो उप-नियम (2) के अधीन मान्यता प्राप्त करने की वांछा रखता है, वह उसके लिए हकदार को प्ररूप संख्या 6 में नियमों उप-विधियों, संगय अनुच्छेदों इसके सदस्यों और पदाधिकारियों की सूची और इसके क्रियाकलापों के बारे में एक रिपोर्ट तथा सामाजिक या सामुदायिक कार्य के पूर्व अभिलेखों, प्रत्येक की प्रति के साथ आवेदन करेगा ।

(3) राज्य सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह ठीक समझें, और जांच रिपोर्ट का स्वरूप और संस्था व संगठन जिसने इस बारे में आवेदन पेश किया है के कार्य के पूर्व रिकार्ड पर विचार करने के पश्चात्, ऐसी संस्था या संगठन, को पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करेगी, जिसे नवीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् नवीकृत किया जाएगा ।

(4) नवीकरण के लिए आवेदन, प्ररूप संख्या 7 में, इस नियम के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीती में प्रस्तुत किया जाएगा और उप-नियम (3) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी तथा उन मामलों में जहां संस्था या संगठन के कामकाज की उचित रूप से संतोष-प्रद सूचना दी जाती है, मान्यता नवीकृत की जाएगी ।

(5) यदि मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा अन्यथा संस्था या संगठन के काम काज को असंतोष-प्रद पाया जाता है, वो राज्य सरकार, संस्था या संगठन को प्रदान की गई मान्यता को प्रत्याहृत कर सकती है ।

नए प्ररूपों का जोड़ा जाना :

7. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप–II के पश्चात् निम्नलिखित नए प्ररूप जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

प्ररूप–3

[नियम 4 (त्र) (देखें)]

शिकायतों/याचिकाओं का रजिस्टर

क्रम संख्या	शिकायतों की सूची	याची का नाम और पता	विवाहित युग्ल के साथ सम्बन्ध	विवाह की नियत या धारित तारीख
1	2	3	4	5

याचिका/शिकायत प्राप्ति की तारीख	सुनवाई की तारीख	निपटान का स्वरूप	अधिकारी के आद्याक्षर	टिप्पणियां
6	7	8	9	10

प्ररूप-4

[नियम 4 (ट) देखें]

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन के बारे में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट

क्रम संख्या	प्राप्त याचिका/ शिकायतों के ब्योरें	जिससे प्राप्त हुई (नाम व पता)	शिकायतों/ याचिका का स्वरूप	पंजीकरण की तारीख	कृत कार्रवाई	विवाद्यक के स्थिरीकरण का स्वरूप	अधिकारी के आद्यक्षर तारीख सहित	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप-5

[नियम 4 (ड़) देखें]

दहेज प्रतिषेध अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की सूचना :

सेवा में,

(व्यक्ति जिसके विरूद्ध शिकायत प्राप्त की गई है का नाम और पता)

चूंकि.....की शिकायत (अधिकथित अपराध का थोड़े में कथन करें) पर सूचना और साक्ष्य एकत्रित करने के लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है। एतद्द्वारा आप का दहेज प्रतिषेध अधिकारी के समक्ष उसके कार्यालय में . . . . . दिन . . . . . (समय), पर. . . . . (स्थान) पर उपस्थित होना अपेक्षित है।

दहेज प्रतिषेध अधिकारी

तारीख. . . . . दिन. 200

(कार्यालय मुद्रा)

प्ररूप-6

[नियम 15 (2) देखें]

कल्याण संस्था/संगठन को मान्यता के लिए आवेदन का प्ररूप :

1. कल्याण संस्था का नाम
2. पूरा पता

3. लक्ष्य और उद्देश्य
4. संस्थाओं/संगठन के प्रमुख का नाम और पता
5. इसके क्रियाकलापों का संक्षिप्त लेखा
6. मान्यता अनुदत्त करने के लिए न्यायोचित्य
7. क्या ऐसा कोई आवेदन पूर्वतन में किया गया है, यदि हां, उसकी तारीख मास और वर्ष के साथ उसके परिणाम।
8. कोई अन्य विशिष्टियां ।

संलग्नक :

(1)
(2)
(3)

स्थान.....
तारीख.....

कल्याण संस्था/संगठन के
प्रमुख के हस्ताक्षर

प्ररूप-7

[नियम 15 (4) देखें]

मान्यता प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप :

1. कल्याण संस्था/संगठन का नाम
2. पूरा पता
3. अन्तिम पांच वर्षों के दौरान उपलब्धियों का संक्षिप्त लेखा
4. संस्था/संगठन के प्रमुख का नाम और पता
5. प्रमाणपत्र संख्या, तारीख और अवसान की तारीख
6. कोई अन्य विशिष्टयां

स्थान :.....
तारीख :.....

कल्याण संस्था अथवा
संगठन के प्रमुख के हस्ताक्षर।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ।

[*Authoritative English text of this Department notification No. Kalyan-A*(3)-1/2000, *Dt* 7-1-2004, *as required under clause* (3) *of article* 348 *of the constitution of India*].

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the 7th January*, 2004

No. Kalayan-A(3)-1/2000.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Dowry Prohibition Rules, 2000 notified *vide* this Department notification No. Kalyan-A(3)4/85-I, dated 14-3-2000 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 27-7-2000, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules shall be called the Himachal Pradesh Dowry Prohibition (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of rule* 2.—In rule 2 of the Himachal Pradesh Dowry Prohibition Rules, 2000 (hereinafter referred to as the "said rules"),—

(*a*) for the existing clause (*d*) the following shall be substituted, namely:—

"(*d*) "Chief Dowry Prohibition Officer" means the Director Social Justice and Empowerment ; and

(*b*) after clause (*j*) the following clause shall be inserted, namely:—

"(*k*) "Probation Officer" means a District Probation Officer appointed under the Probation of Offenders Act, 1958 (Central Act 20 of 1958) ; and

(*L*) "Police Officer" means an officer appointed as such by the State Government in the State Police Department under these rules."

3. *Amendment of rule* 4.—In rule 4 of the said rules:—

(*a*) in clauses (*d*) and (*e*), for the word "Director" wherever it occurs, the words "Chief Dowry Prohibition Officer", shall be substituted ; and

(*b*) after clause (*f*), the following clauses shall be added, namely:—

"(*g*) He shall conduct surprise checks and discreet enquires to ascertain that as to whether there has been any violation of the provisions of the Act or these rules.

(*h*) He shall discharge his duties with due care, keeping in view the decorum, privacy and act in a manner to uphold the dignity, decency and harmony of family relationships.

(*i*) His approach shall primarily be preventive and remedial and prosecution shall be recommended and resorted to only if all other measures and directions are found ineffective or parties fail to comply with the orders or directions within the stipulated time.

(*j*) He shall cause to be serially numbered every complaint received by him and duly registered in a Register in Form III.

(*k*) He shall send quarterly progress report to the Chief Dowry Probihition Officer with regard to the number of complaints received under the Act and the action taken or the nature of settlement of the issue in Form-IV. He shall send such details or reports as may be required by the Chief Dowry Prohibition Officer or the Government from time to time.

(*l*) He shall conduct an on the spot investigation and shall collect such evidence either oral or in writing from the parties or witnesses in his office or in a place couvenient to him without causing much inconvenience or hardship to the parties.

(*m*) He shall intiate or serve notices to the parties and witnesses of the date, time and place of hearing of the complaints in Form-V.

(*n*) He shall enquire into every petition and hear the parties and conclude his findings thereon within a month from the date of its receipt.

(*o*) Where on the date fixed for hearing of the complaint or petition or any other date to which such hearing may be adjourned, the complainant or the Petitioner does not appear the Dowry Prohibition Officer, may in his discretion, either dismiss the complaint or petition for default or hear the opponante party and come to a finding as to its merit, and shall record such finding in a file.

(*p*) He may utilise the services of Probation Officers of the area for collecting information or conducting enquiries and assisting him out any stage of enquiries or proceedings relating to a complaint, petition or application under the Act.

(*q*) On receipt of a requisition from the Dowry Prohibition Officer, the Probation Officer shall conduct necessary enquiries, collect information and furnish to him such details or report promptly as requested by the Dowry Prohibition Officer.

(*r*) He shall in a case where any dowry is received by any person other than the woman and a complaint is received in respect of non-transfer of such dowry to the women who is entitled to it in accordance with section 6 of the Act, issue directions to the parties to transfer the same to the women entitled to it, within a stipulated time.

(*s*) He shall make wide publicity that any marriage taking place within his jurisdiction may be visited surprisingly by him or his staff alongwith the Police Officers to see that the provisions of the Act are not being contravened.

(*t*) He shall make necessary enquiries regarding non-observance of the provisions of the Act in respect of the marriages held or proposed to be held within his jurisdiction.

(*u*) He shall ascertain and confirm by suitable means that every marriage taking place within his jurisdiction is being performed in confirmity with the provisions of the Act.

(*v*) He shall, while making the enquiries under the Act or when he attends any marriage for the purposes of making enquiries, take the assistance of any Police

Officer or ask other officers to assist him in the performance of his functions and it shall be the duty of the Police Officers to render him all assistance required by the Dowry Prohibition Officer.

(*w*) He shall render assistance to the Police in investigating the complaint filed under the Act and the court in the trial of the case.

(*x*) He shall also perform such other duties as may be assigned in this regard by the "State Government".

4. *Addition of new rule* 4-*A*.—After rule 4 of the said rules, the following rule 4-A shall be added, namely:—

"**4-A. Duties and functions of Chief Dowry Prohibition Officer.**—The Chief Dowry Prohibition Officer shall discharge and perform the following duties and functions, namely:—

(1) He shall coordinate the work relating to dowry prohibition throughout the State.

(2) He shall coordinate the work of Dowry Prohibition Officers and shall be responsible for creating consciousness and awareness to prevent dowry system among the public and to set out programmes with a view to uproot the dowry system.

(3) He shall be responsible for the preparation and submission of an Annual report on the progress of implementation the Act and related matters and such statistics as may from time to time be required by the State Government.

(4) He shall issue instructions to all the Departments of the State Government to the following effects:—

(*i*) that every government servant after his marriage shall furnish a declaration to the Head of department stating therein that he has not taken any dowry and the declaration so made shall be signed by the wife, father and father-in-law ;

(*ii*) that one specified day in a year shall be observed as the Dowry Prohibition Day ; and

(*iii*) that a, Pledge shall be administered to the students in schools and colleges and other institutions not to give or take dowry.

5. *Amendment of rule* 5.—In rule 5 of the said rules, for the word "Director", the words "Chief Dowry Prohibition Officer", shall be substituted.

6. *Addition of new rules.*—After rule 13 of the said rules, the following new rules shall be added, namely:—

"**14. Limitation and conditions subject to which a Dowry Prohibition Officer may exercise Powers of Police Officer.**—(1) Save and except the provisions of Chapters V, VI, VII and XII of the Code of Criminal Procedure, 1973 namely, the power to arrest of persons, process to compel appearance proccess to compel the production of things, information to the police and their powers to investigate, the Dowry Prohibition Officer shall have the power of a Police Officer under the said Code for the purpose of enquiry and after completion of inquiry he shall make a complaint of offence before the competent Magistrate.

(2) Whenever the Dowry Prohibition Officer has reasonable grounds for believing that an offence punishable under this Act has been or is being or is about to be committed within his jurisdiction and that the search of any premises with warrant cannot be made without undue delay, he may, after sending the grounds of his belief to the District Magistrate search such premises without a warrant.

(3) Before making a search under sub-rule (2), the Dowry Prohibition Officer shall call upon two or more residents of the locality in which the place to be searched is situated, to attend and witness the search, and may issue an order in writing to them or any of them to do so.

(4) If any person without reasonable cause, refuses or neglects, to attend and witness a search under this rule, when called upon to do so by an order in writing delivered or tendered to him, he shall be deemed to have committed an offence under section 187 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

15. Recognition of Welfare Institution.—(1) A Welfare institution or Organisation primarily devoted to any of the following kinds of work and which has rendered remarkable service in the field for a period of not less than three years shall be eligible for seeking recognition under Sub clause (ii) of clause (*b*) of sub Section (1) of section 7 of the Act namely:—

(*a*) Social Welfare including care, protection and training of women ;

(*b*) Organisation of women state wide or All India character, Prominent Mahila Samajs or womens Organisations ;

(*c*) Social Defence including Care and Protection of Destitute, Rescue Women and Children ; and

(*d*) Any Organisation of lawyers interested in eradicating social evils.

(2) A Welfare Institution or organisations desirous to seek recognition under sub-rule(2) shall apply for the same in Form No. VI to the Government alongwith a copy of each of the Rules, [By laws, Articles of Association, lists of its members and office bearers and report regarding its activities and past records of social or community services.]

(3) The State Government may, after making such inquiry as it deems fit through a Senior officer of the Department of Social Justice & Empowerment and after considering the inquiry report as to the nature and the past record of the service of the institution or organisation which has presented the application in this regard, grant recognition to such institution or organisation for a period of five years, which shall be renewed after submitting a renewal application.

(4) An application for renewal shall be submitted in form No. VII in the manner specified in sub-rule (2) of this rule and shall be processed as per the procedure laid down in sub-rule (3) and recognition shall be renewed in cases where the working of the institutions or organisation is reported to be fairly satisfactory.

(5) The State Government may withdraw the recognition granted to an institution or organisation, if the working of the institution/organisations is found to be unsatisfactory by the Chief Dowry Prohibition Officer or otherwise".

FORM—III

[*See* rule 4 (J)]

REGISTER OF COMPLAINTS/PETITIONS

Sr. No.	List of Complainants	Name and address of petitioner	Relationship with the married couple	Date of marriage fixed or held
1	2	3	4	5

Date of receipt of petition/ Complaint	Date of hearing	Nature of disposal	Initials of Officer	Remarks
6	7	8	9	10

FORM-IV

[*See* rule 4 (K)]

QUARTERLY PROGRESS REPORT REGARDING THE IMPLEMENTATION OF DOWRY PROHIBITION ACT, 1961

Sl. No.	Details of petition/ complaints received	From whom (Name and address)	Nature of of Complaints/ petition	Date of Registration	Action taken	Nature of settlement of issue	Dated initials of the officers	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

FORM—V

[*See* rule 4 (*m*)]

NOTICE TO APPEAR BEFORE DOWRY PROHIBITION OFFICER

To

(Name of person against
whom complaint has been
received and address)

Whereas your attendance is necessary to collect information and gather evidence to a complaint of.....(state shortly the alleged offence) you are hereby required to appear in person before the Dowry Prohibition Officer on the day of ....at.....(time) in his Office at .....(Place).

Dowry Prohibition Officer.

Dated the day of 2004.

(*Office Seal*).

FORM—VI

[*See* Rule 5(2)]

FORM OF APPLICATION FOR RECOGNITION OF WELFARE INSTITUTION ORGANISATION

1. Name of the Welfare Institution
2. Full Address
3. Aims and Objectives
4. Name and address of the Head of the Institutions/Organisation
5. Brief accounts of its activities
6. Justification for granting recognition
7. Has any such application been made previously if so, its results together with its date, month and year
8. Any other particulars

Enclosures :

(1)
(2)
(3)

Place : .....

Date : .....

Signature of the Head of the Welfare Institution/Organisation.

FORM—VII
[*See* rule 5 (4)]

FORM OF APPLICATION FOR RENEWAL OF CERTIFICATE OF RECOGNITION

1. Name of the Welfare Institution/Organisation

2. Full Address

3. Brief account of the achievements during last five years

4. Name and address of head of the institution/Organisation

5. Certificate No., date and date of expiry

6. Any other particulars

Place :

Signature of the Head of the Welfare Institution or Organisation.

Date :

By order,

Sd/-
Principal Secretary (SJ&E),
to the Government of Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित